यह निरीक्षण प्रतिवेदनआख्या कार्यालय **उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयीसूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादून** के माह 07/2006 से माह 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री डी.के.मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्नाराम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.08.2020 से 21.08.2020 तक श्री बी.डी.सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की विगत लेखापरीक्षाश्री छेदी लाल पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.07.2006से 03.08.2006तकलेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी,जिसमें माह 07/2001 से 06/2006 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2006 से माह 07/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःकार्यालय का मुख्य क्रियाकलाप श्रम अधिनियमो का पालन करना है|

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का गढ़वाल क्षेत्रहै।

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजटआवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	-	427.46	359.64	3.75	2.41	69.16
2016-17	-	-	576.06	368.21	41.50	28.52	220.83
2017-18	-	-	465.44	414.28	18.70	5.22	64.64
2018-19	-	-	498.33	453.51	9.50	8.48	46.34
2019-20	-	-	98.62	75.84	5.00	4.27	23.51
2020-21 (06/2020)	-	-	39.50	15.83	00	00	23.67

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः
(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	-	-	-	-	-
2016-17		-	-	-	-
2017-18		-	-	-	-
2018-19		-	-	-	-
2019-20		-	-	-	-
2020-21 (06/2020)		-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई'स'श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव श्रम विभाग
↓
अपर सचिव श्रम विभाग
↓
श्रम आयुक्त
↓
उपश्रम आयुक्त
↓
सहायक श्रम आयुक्त

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादून** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **मार्च 2010, दिसम्बर 2010, अप्रैल 2015, अप्रैल 2016, मार्च 2017 एवं जुलाई 2019**को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर 01:-बाल श्रम अधिनियमों का पालन न किया जाना तथा लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखना

श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह योजना 1988 में प्रारम्भ की गयी | जिसका उददेश्य कार्य करने वाले बालको का चिन्हीकरण करना , उन्हें कार्य से हटाकर विशेष स्कूलो । में भर्ती करना तथा इन विशेष स्कूलों में उन्हें ओपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लेने योग्य बनाना तथा बाल श्रम उन्मूलन बालक/बालिकाओं एवं किशोरों की शिक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा के अधिकार से उक्त अधिनियम को जोड़ना | GSR 543(E) बालक श्रम (प्रतिषेध ओर विनियमन), नियम 1988 के अनुसार तथा प्रस्तर 16A(1)धारा 17B की उपधारा (3) के अधीन बालक या कुमार को बालक ओर श्रम पुनर्वास निधि में यथासिथिति, प्रत्यय जमा या विनिधान की गयी निधि ओर उस पर ब्याज का उस बालक या कुमार को संदाय किया जायेगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया हें |

इसके अतिरिक्त (17) ड के अनुसार केन्द्रीय सरकार धारा 17 के नियमो का पालन करने के लिये इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर निरिक्षण करना अनिवार्य है इस सम्बन्ध में निरीक्षक द्वारा त्रिमासी रिपोर्ट तेयार करना होता है

कार्यालय उप श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच के दोरान पाया गया की विभाग द्वारा वर्ष 07/2006 से लेखापरीक्षा अवधि तक जो 07/2020 बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी सूची अथवा रिकॉर्ड तेयार नही किया गया | जेसे कि बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाये जाने योग्य बनाना तथा 18 वर्ष पूर्ण करने पर लाभार्थियों को लाभ दिया जाना तथा वसूला गया अर्थदंड खातो में जमा किया जाना | इसके अतिरिक्त वर्ष 07/2006 से वर्ष 2017-18 तक इंस्पेक्टर द्वारा कोई भी निरिक्षण नही किया गया | उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में उपरोक्त प्रशनो का उत्तर शून्य बताया जो स्वयं विभाग की शिथिलता दर्शाता है |

अतः प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 02 (ब)

प्रस्तर 01:-अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर रु 21.16 लाख की अधिप्राप्ति

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मूल नियम 3(10) के अनुसार अधिप्राप्ति के समय सामग्री के न्यूनतम मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए सामग्री का थोक में क्रय किया जाना चाहिए एवं अधिप्राप्ति सामग्री की धनराशि कम करने के लिए क्रय आदेश को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए| उच्चाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए अधिप्राप्ति को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए| नियम सं. 3(13) के अनुसार क्रय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सरकार को व्यय की गयी धनराशि का उचित लाभ मिले और प्रथम दृष्टया व्यय अवसर की मांग से अधिक न हो|

कार्यालय उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा माह दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017 में साईकिल क्रय, मरम्मत कार्य,एवं सामग्री क्रय की गयी और रु 21,16,084/= का भुगतान किया गया| विवरण निम्नानुसार है|

क्रम सं.	सामग्री	बिल की तिथि	बिल की धनराशि
01	साईकिल	22.12.2016	2,54,090
02	साईकिल	23.12.2016	13,21,637
03	मरम्मत कार्य	19.12.2016	13,780
04	मरम्मत कार्य	03.01.2017	13,200
05	मरम्मत कार्य	03.01.2017	32,490
06	मरम्मत कार्य	03.01.2017	99,416
07	मरम्मत कार्य	03.01.2017	31,521
08	सामग्री क्रय	25.01.2017	62,700
09	सामग्री क्रय	25.01.2017	98,000
10	सामग्री क्रय	25.01.2017	93,750
11	सामग्री क्रय	25.01.2017	95,500
कुल धनराशि			**21,16,084**

जांच में यह पाया गया कि अधिप्राप्ति में कोटेशन/निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया| और न ही किसी तरह की क्रय समिति की आख्या, क्रय आदेश, उच्चाधिकारी की स्वीकृति उपलब्ध पाए गये|

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्पष्ट उत्तर न देकर कहा गया कि श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा रु 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी और चार संस्थानों द्वारा

प्राप्त टेन्डर/कोटेशन की प्रति संलग्न है| बिल संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है.कार्यालय स्तर पर बिल विभाजित नहीं हुआ|

लेखापरीक्षा में इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, क्योंकि निविदा के अभिलेखों के नाम पर मात्र टेन्डर फार्म प्रस्तुत किये गये| प्रस्तुत चार टेन्डर फार्म में से दो में साईकिल की कीमत नहीं दर्शायी गयी है शेष दो में दर्शायी गयी धनराशि की दर से दोनों फर्मों से साईकिल क्रय की गयी है| तुलनात्मक विवरण एवं कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का स्वीकृत आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया गया| जिससे स्पष्ट है कि निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया| मरम्मत कार्य एवं सामग्री क्रय के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया|

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर रु 21.16 लाख की अधिप्राप्ति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:-उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुये धनराशि ₹9,17,734/- का टुकड़ो में व्यय किया जाना

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/xxxvii (7)/2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 एवं 129/xxvii(7)32/2007 देहरादून दिनाक 14 जुलाई 2017 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्र को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

लेखा परीक्षा के दौरान प्रॉक्यूरमेंट फाइल की जांच में पाया गया की इकाई द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में CCTV/फर्नीचर एवं "अन्य सामाग्री का क्रय बिना quotations प्राप्त किये बिलों का भुगतान किया गया है जोकि वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित धनराशी के वाउचर्स विभाग द्वारा प्रस्तुत नही कराए गये विवरण निम्न हैः-

फर्म	**बिल सं0**	**दिनांक**	**धनराशि**
सी.सी.टी.वि. कैमरा	157	28.2.17	19824
	160	28.2.17	44132
	159	28.2.17	19824
	158	28.2.17	39648
	161	28.2.17	44132
	157	28.2.17	19824
	160	28.2.17	44132
योग			**167560/=**
फर्नीचर	107	09.11.17	35836
	104	09.11.17	46336
	105	09.11.17	48184
	106	09.11.17	40960
	122	26.02.18	45000

	124	27.02.18	43700
	123	26.02.18	46600
	125	27.02.18	11648
	149	25.02.19	24400
	133	26.02.19	84488
योग			**427152/=**
स्टॉक सम्बन्धित सामग्री	137	30.12.18	120150
	139	03.01.19	79798
	519	14.02.19	43070
	746	15.07.19	80004
	137	30.12.18	120150
योग			**323022**
महा योग			**9,17,734/=**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि पत्रावली के अनुसार CCTV सम्बन्धी कार्यवाही लम्बित है तथा धनराशी से सम्बन्धित वाउचर्स उपलब्ध नही है | उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योंकि अधिप्राप्ति के नियमानुसार क्रय करने से पूर्व quotations प्राप्त करना अनिवार्य है | ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 02:- रोकड़ बही एवं व्यय वाउचर्स का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 1) अध्याय 3 में स्पष्ट उल्लिखित है कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा फार्म सं. 2 में सामान्य रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना चाहिए जब तक कि कोई अन्य रोकड़ बही रखने के अलग से आदेश न दिए गये हों| एवं समस्त प्राप्ति एवं भुगतान को उसमे अंकित किया जाना चाहिए|

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय की रोकड़ बही में व्यय की गयी धनराशियों का अंकन नहीं किया गया है| बिल / वाउचर्स भी निर्धारित प्रारूप में नहीं पाए गये| जिससे भुगतान किसे एवं किस खाता सं. में किया गया यह सत्यापित नहीं किया जा सका।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि पूर्व में कार्मिकों द्वारा रोकड़ बही में उक्त प्रविष्टियां नहीं की गयी है| भविष्य में अनुपालन किया जाएगा|

इकाई की स्वीकारोक्ति से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है|

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
80/2006-07	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अनुपालन आख्या अप्रस्तुत				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) निम्नलिखित व्यय वोउचर्स

   माह मार्च 2010 के समस्त वोउचर ,कुल धनराशी रु 82,37,631/=

   माह दिसम्बर 2010 के बी.एम्-5 के क्रम संख्या 01,02,11,12,13,19,20,29,30,31,33,34,35, 37 से 46, 66 से 73

   माह अप्रैल 2015 के बी.एम्-5 के क्रम संख्या 06 एव 07

   माह अप्रैल 2016 के बी.एम्-5 के क्रम संख्या 05 से 10,14,15

   माह मार्च 2017 के बी.एम्-5 के क्रम संख्या

   01,02,03,24,40,41,50,65,70,87,89,91,92,93,99,100,106,107,127,128,129,130

   माह जुलाई 2019 के बी.एम्-5 के क्रम संख्या 01,02,03,44,56,62,63

   (विस्तृत सूची संलग्न:-- संलग्नक -)

   (ii) माह अप्रैल 2009 में जमा धनराशी रु 39,640/= का चालान

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री जे.एस.बिष्ट	उप श्रम आयुक्त	09.11.2000 से 28.08.2006
2.	श्री एम्.सी.पंत	उप श्रम आयुक्त	29.08.2006 से 30.11.2008
3	श्री डी.लाल	उप श्रम आयुक्त	01.12.2008 से 31.10.2011
4.	श्रीमती मधु नेगी चौहान	उप श्रम आयुक्त	01.11.2011 से 13.07.2015
5.	शि विपिन कुमार	उप श्रम आयुक्त	14.07.2015 से 03.06.2018
6.	श्री अनिल पेटवाल	उप श्रम आयुक्त	04.06.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादूनको इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/AMG-I कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कौलागढ-248195 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I

संलग्नक -1

BM-05 की क्रम संख्या	वाउचर सं.	धनराशि
मार्च 2010	समस्त वाउचर	
दिसम्बर 2010		
01	A22300001	65,933
02	A22300002	92,651
11	A20710049	2,77,970
12	A22300011	871
13	A22300012	1,486
19	B22300018	4,084
20	B22300019	13,953
29	B80090084	97,799
30	B80090085	3,07,007
31	A22300016	1,03,759
33	B80090209	40,000
34	B80090212	60,000
35	B22300052	46,500
37	B22300053	2,692
38	B22300054	5,000
39	B22300055	30,000
40	B22300056	30,114
41	B22300057	233
42	B22300058	1,440
43	A22300025	1,51,261
44	A22300026	5,256
45	B22300059	600
46	B22300060	2,928
66	A22300043	2,37,322
67	A22300045	9,49,157
68	B22300064	1,275
69	B22300065	48,443
70	A22300046	4,53,717
71	A22300047	13,40,851
72	A22300048	83,752
73	B22300065	30,000
अप्रैल 2015		
06	B80090056	2,45,000
07	B80090146	2,80,000
अप्रैल2016		
05	B22300001	2,00,000
06	B80090140	4,00,000
07	B80090141	70,000
08	A20710001	4,64,500
09	B80110007	48,653

10	B80110008	2,00,000
14	B22300004	40,000
15	B80090221	8,82,644
मार्च 2017		
01	A22300004	97,843
02	A22300005	24,96,936
03	A22300006	96,106
24	A22300021	77,900
40	B80090141	13,71,045
41	B80090142	2,41,655
50	B80110032	50,093
65	B22300208	38,000
70	B80090207	19,053
87	B22300297	37,500
89	B22300301	16,800
91	A22300032	4,092
92	A22300033	22,050
93	A22300034	1,015
99	B22300306	2,192
100	A20710150	3,55,980
106	A22300043	31,110
107	A22300044	32,028
127	A22300452	1,815
128	A22300453	7,571
129	A22300053	8,007
130	A22300459	52,425
जुलाई 2019		
01	A22300010	1,10,894
02	A22300011	40,726
03	A22300016	27,00,930
44	B22300077	20,000
56	A22300032	24,938
62	B80110131	87,096
63	B80110132	69,100